

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

W.P.(S) No. 3328 / 2025 संजीव कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 27.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में दिनांक 30.04.2026 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा कृत अनुशांसा के अनुरूप झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15,600-39,100/- ग्रेड पे 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) के निम्नांकित पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-IV 37400-67000 - ग्रेड पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13) में उनसे संबंधित अधिसूचना में अंकित तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

- 1) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2569/ श्री चन्द्र भूषण सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 856/03, गृह जिला- राँची), बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका को विभागीय अधिसूचना झापांक 1777 दिनांक 22.03.2025 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री सिंह को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 2) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2570/ श्री रामवृक्ष महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 860/03, गृह जिला- राँची), संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय अधिसूचना झापांक 1777 दिनांक 22.03.2025 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री महतो को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 3) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2571/ मो0 मुमताज अली अहमद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 862/03, गृह जिला- हजारीबाग), उप निदेशक जनजातीय कल्याण एवं कार्यक्रम आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग), झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड) को विभागीय अधिसूचना झापांक 1777 दिनांक 22.03.2025 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री महतो को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 4) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2572/ श्री अरविन्द कुमार लाल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 3/20, गृह जिला- राँची), उप सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री लाल को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 5) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2573/ श्री राज महेश्वरम्, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 4/20, गृह जिला- देवघर), अपर समाहर्ता, गढ़वा को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री महेश्वरम् को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

6) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2574/ श्री हरिवंश पंडित, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 5/20, गृह जिला- गिरिडीह), सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री पंडित को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

7) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2575/ श्रीमती सीमा सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 6/20, गृह जिला- गाजीपुर (उ0प्र0)), उप निदेशक, रिनपास, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती सिंह को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

8) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2576/ श्री अनवर हुसैन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 7/20, गृह जिला- हजारीबाग), उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री हुसैन को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

9) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2577/ श्री अनन्त कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 10/20, गृह जिला- चतरा), उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री कुमार को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

10) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2578/ श्रीमती ज्योति कुमारी झा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 11/20, गृह जिला- बोकारो), उप सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती झा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

11) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2579/ श्री संदीप दूबे, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 12/20, गृह जिला- गोड्डा), माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव (सरकारी कोटा) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री दूबे को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

12) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2580/ स्व0 बिनय कुमार मिश्र, भूतपूर्व झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 14/20, गृह जिला- औरंगाबाद), तत्कालीन अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

13) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2581/ श्री संतोष कुमार गर्ग, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 15/20, गृह जिला- राँची), निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम (NEP), जमशेदपुर को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री गर्ग को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

- 14) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2582/ श्री कमलेश्वर नारायण, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-17/20, गृह जिला- गोपालगंज, बिहार), अपर नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री नारायण को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 15) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2583/ श्री विजय कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 18/20, गृह जिला- राँची), सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, हजारीबाग प्रमण्डल को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री कुमार को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 16) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2584/ स्व0 दीपू कुमार, भूतपूर्व झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-19/20, गृह जिला- गिरिडीह), तत्कालीन उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
- 17) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2585/ श्री संजय पाण्डेय, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 22/20, गृह जिला- देवघर), उप सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 30.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री पाण्डेय को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 18) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2586/ श्री राजीव कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 23/20, गृह जिला- दरभंगा), अपर समाहर्ता, दुमका को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 30.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री कुमार को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 19) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2587/ श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-24/20, गृह जिला- सारण, बिहार), उप निदेशक कल्याण, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 30.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री सिंह को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 20) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2588/ श्री राकेश कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 25/20, गृह जिला- भागलपुर), संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय अधिसूचना झापांक 1777 दिनांक 22.03.2025 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर दिनांक 30.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री कुमार को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 21) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2589/ श्री राजेश्वर नाथ आलोक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-27/20, गृह जिला- लोहरदगा), अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि व्यवस्था), राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 30.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री आलोक को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।



- 22) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2590/ श्री संजीव कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 31/20, गृह जिला- गोड्डा), उप निदेशक कल्याण, राँची प्रमण्डल, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 25.04.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री कुमार को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 23) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2591/ मो0 जियाउल अंसारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 32/20, गृह जिला- गोड्डा), विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 19.09.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए मो0 अंसारी को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 24) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2592/ श्री दिनेश कुमार रंजन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 33/20, गृह जिला- राँची), क्षेत्रीय उप निदेशक, जियाडा, आदित्यपुर प्रक्षेत्र को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 31.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री रंजन को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 25) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2593/ श्री पंकज कुमार साव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 36/20, गृह जिला- बोकारो), अपर निदेशक, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 31.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री साव को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 26) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2594/ श्री प्रणव कुमार पाल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 42/20, गृह जिला- जामताड़ा), संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय अधिसूचना झापांक 1777 दिनांक 22.03.2025 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर दिनांक 30.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री पाल को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 27) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2595/ श्री बिनय मनीष आर. लकड़ा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 45/20, गृह जिला- राँची), सचिव, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- भू-सम्पदा पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री लकड़ा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 28) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2596/ श्री योगेन्द्र प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 48/20, गृह जिला- कोडरमा), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 01.03.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है। श्री प्रसाद को प्रोन्नति का लाभ उनके पदस्थापन के उपरांत प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
- 29) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2597/ श्री अजय सिंह बड़ाईक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 52/20, गृह जिला- गुमला), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पाकुड़ को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री बड़ाईक को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

30) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2598/ श्रीमती प्रेमलता मुर्मू, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-53/20, गृह जिला- दुमका), अपर समाहर्ता, गोड्डा को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती मुर्मू को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

31) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2599/ श्री परमेश्वर मुण्डा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-57/20, गृह जिला- रामगढ़), अपर समाहर्ता, खूँटी को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री मुण्डा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

II. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 कंडिका- 2(iii) एवं (v) के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के ऐसे पदाधिकारियों जिनकी अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखी जा रही है, उनके आरोप मुक्त होने की स्थिति में मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा के आधार पर यदि उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाता है तो उसके फलस्वरूप जिस कोटि में उन्हें प्रोन्नति प्रदान की जायेगी उस कोटि के प्रोन्नत अंतिम पदाधिकारी को पदावनत किया जायेगा।

III. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के प्रथम बैच (JPSC के माध्यम से नियुक्त) के पदाधिकारियों के नियुक्ति में अनियमितता से संबंधित कांड/वादों में पारित होने वाले आदेश/फलाफल से इनकी प्रोन्नति प्रभावित होगी।


IV. क्रमांक 1, 2, 3, 20 एवं 26 पर अंकित पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ विभागीय अधिसूचना झापांक 1777 दिनांक 22.03.2025 के आलोक में संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

V. क्रमांक 12 एवं 16 पर अंकित मृत पदाधिकारियों को प्रदत्त वैचारिक प्रोन्नति का लाभ सेवांत लाभों के भुगतान की गणना हेतु किया जा सकेगा।

VI. उपरोक्त कंडिका- IV एवं V में अंकित पदाधिकारियों को छोड़कर अन्य नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी।

VII. यह अधिसूचना WP(S) No. 3328/2025 संजीव कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 27.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत है। अतः इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(चिन्दू दोराईबुरु)

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक- 3/प्रो0-02-02/2024 का. 2600/ राँची, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक- 3/प्रो0-02-02/2024 का. 2600/ राँची, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।